# न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

**पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.**

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 28/2016

श्री मुरारीलाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री मुकेश सुराना पुत्र श्री जेठमल सुराना (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स अम्बिका ट्रेडिंग कम्पनी, चुड़ी बाजार बीकानेर निवासी चूड़ी बाजार बीकानेर काशीराम पुत्र श्री नारायणराम पंचारिया मैसर्स श्री नारायण स्टोर करमीसर फॉन्टा गजनेर रोड़, बीकानेर

अप्रार्थी

**प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2. अप्रार्थी की ओर से – श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता

**निर्णय** दिनांक 11.02.2020

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री मुरारीलाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 08.06.2015 को अप्रार्थी श्री मुकेश सुराना पुत्र श्री जेठमल सुराना (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स अम्बिका ट्रेडिंग कम्पनी, चूड़ी बाजार बीकानेर के यहां दुकान का निरीक्षण दौरान उक्त के यहां दुकान के काउन्टर में 16 पैकेट 700 ग्राम वजनी, राधिका नूडल्स वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त नूडल्स के पैकटों में से 04 पैकेट 700 ग्राम वजनी पैंकिग के मूल ही वास्ते जांच नमूना हेतु क्रय किये गये जिसकी 4 पैकेटों की कीमत रूपये 160/– विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान व स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। नमूना जांच हेतु क्रय किये गये उक्त राधिका नूडल्स की चार पैकेटों के एक–एक पैकेट के लेबल तैयार कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर चारों पैकेटो पर अलग–अलग गोंद से चिपकाकर प्रत्येक पैकेट को खाकी व मोटे कागजों में लपेटकर गोंद से चिपकाकर उन पर पेपर सिल्प कोड नम्बर एवं सीरियल नम्बर एबी–508 पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकार प्रत्येक पैकेट को मोटे डोरे से बांधकर नियमानुसार प्रत्येक पैकेट को चार–चार जगह उपर नीचे एवं दोनों साईडों पर सील चपडी कर उन पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवायें व स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता व गवाहान को पढकर सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवा कर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात कार्यालय पर आकर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त सील्ड युक्त पैकेट में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS/1677/Act/

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

2015/834 दिनांक 07.09.2015 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें राधिका नूडल्स मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा राधिका नूडल्स विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। तदरन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थीपक्ष की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके राधिका नूडल्स का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट LS/1677/Act/ 2015/834 दिनांक 07.09.2015 के अनुसार इस मामले में The sample of "Radhika noodles" bearing Code No. and Sr. No. AB-508 of Designated Officer cum Dy.Director(Zone) Medical & Health Services, Zone Bikaner, is Misbranded food Under section 3(1)(zf)(c)(i) of FSS Act. 2006. पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां राधिका नूडल्स मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुरारीलाल शर्मा द्वारा दिनांक 08.06.2015 को मैसर्स अम्बिका ट्रेडिंग कम्पनी, चूड़ी बाजार, बीकानेर के यहां से लिये गये राधिका नूडल्स ब्राण्ड राधिका के नमूने से संबंधित है जिसका नमूना संख्या एबी 508 था। नमूना खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मानकों के अंतर्गत समस्त पैरामिटरस में शुद्ध पाया गया है। नूडल्स केवल धारा 3(1)(जेडएफ)(सी)(i) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मिसब्राण्ड पायां गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बनाये गये पेकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेग्यूलेशन 2011 के रेग्यूलेशन 245(2) की गलत व्याख्या कर नूडल्स को मिसब्राण्ड इसलिये घोषित किया गया है कि उस पर बेस्ट बिफोर कैपिटल अक्षरों में नहीं लिखा हुआ था। जबकि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में कहां कि बेस्ट बिफोर इस प्रकार छपा होना चाहिए ताकि वह ग्राहक के आसानी से पढ़ने में आ जावे। यदि बेस्ट बिफोर अगर स्मॉल लेटर में भी लिखा गया है तो भी उक्त नियम की Sufficient Compliance माना जावेगा। विभिन्न न्यायालयों के द्वारा दिये गये निर्णय– (a) 2005(2)FAC-122 जगदीश प्रसाद डीडवानियां

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

वगैरा बनाम स्टेट ऑफ बिहार (b) 2012(1)FAC-479 प्रमोद कुमार केडिया बनाम स्टेट ऑफ बिहार (c) 2012(2)FAC-00 मैसर्स श्री ओम इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ बिहार में पारित किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सैम्पल लेते इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि नूडल्स का निर्माता प्रार्थी नहीं है तथा उक्त नूडल्स के पैकेट पर उसके निर्माता राधिका इण्डस्ट्रीज, करनी इण्डस्ट्रीयल एरिया, पूगल रोड़ बीकानेर का पता लिखा हुआ था इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना करते हुए निर्माता को नोटिस नहीं दिया और ना ही निर्माता को आरोपी बनाया है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 241(5) की पूर्ण रूप से अवहेलना की है जबकि उक्त नियम आज्ञात्मक है। उपरोक्त प्रकरण की लोक विश्लेषक रिपोर्ट की राय की सत्यता को जांचने के लिए लोक विश्लेषक एवं परिवादी खाद्य सरुक्षा अधिकारी सहित सभी गवाहों के बयान से पता चलेगा। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्यवाही एवं लोक विश्लेषक की रिपोर्ट संदेहास्पाद होने के कारण उक्त प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

5. इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने अप्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुवे कथन किया प्रार्थी निरीक्षक ने दिनांक 08.06.2015 को अप्रार्थी मैसर्स अम्बिका ट्रेडिंग कम्पनी चूडी बाजार बीकानेर के यहां निरीक्षण के दौरान नूडल्स राधिका 16 पैकेट 700 ग्राम आम जनता को विक्रय किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट में राधिका नूडल्स मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया था। प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थी से फर्म से संबंधित सूचनाए उपलब्ध करवाने हेतु पत्रांक 3583 दिनांक 7.10.2015 एवं पत्रांक 377 दिनांक 25.01.2016 द्वारा फर्म से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था। अप्रार्थी द्वारा पत्र दिनांक 27.1.16 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र छाया प्रति एवं फर्म का वेट रजिस्ट्रेशन एवं माल खरीद बिल मैसर्स राधिका इण्डस्ट्रीज का बिल क्रमांक 40 दिनांक 16.7.2015 की छाया प्रति उपलब्ध कराई, जो नमूना लेने की दिनांक 08.06.2015 का पश्चात प्रस्तुत किया है। जबकि अप्रार्थी के यहां राधिका नूडल्स का सैम्पल दिनांक 08.06.2015 को लिया गया है। इसलिए उक्त सूचना इस प्रकरण से संबंधित नहीं है। अप्रार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है कि खाद्य निरीक्षक ने अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना की है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम की पूर्ण रूप से पालना की है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं संलग्न मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS/1677/Act/ 2015/834 दिनांक 07.09.2015 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट में The sample of "Radhika noodles" bearing Code No. and Sr. No. AB-508 of Designated Officer cum Dy.Director(Zone) Medical & Health Services, Zone Bikaner, is Misbranded food Under section 3(1)(zf)(c)(i) of FSS Act. 2006. पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। इस प्रकार अप्रार्थी के

भारसा. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

यहां राधिका नूडल्स मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत **रू. 30,000/– अखरे रूपये तीस हजार** मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

7. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि(अधिवक्ता) पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

( ए.एच.गौरी )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर